भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

CANCELLED भारत INDIA

NOTARIAL NOTARIAL INDIA NON JUDICIAL

16 DEC 2013 उत्तर प्रदेश

BU 707399

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AFFIDAVIT

I, **Ajit Parashar** authorized representative of the management/office and Manager i.e **Shri Radha Krishna Samaj Kalyan Sikshsa Samiti, Kalpana Kunj, Dehtora, Agra (U.P.)** aged about 53 years, resident of 8/34, Bhogi Pura, Shahganj, Agra in connection with my/our application for grant of recognition/permission of **NRC APP 5344** to conduct Teacher Training course **D.El.Ed.** (Name of the course) with **50 seats** intake under section (14/15) of the NCTE Act, 1993 on behalf of the institution namely **Shri Radha Krishna Educational Institute, Kalpana Kunj, Dehtora, Agra (U.P.)** do hereby solemnly affirm and state as follows:-

2 That the **Shri Radha Krishna Educational Institute, Kalpana Kunj, Dehtora, Agra (U.P.)** is in possession of land as per following description:

2.1 Total Area of the land in (square mtrs) – 2745 Sq.Mts.

2.2 Address :

Plot No.	271, 275
Khasra No.	271, 275
Village	100 Futa Road, Kalpana Kunj, Dehtora
Tehsil	Sadar
District	Agra
State	U.P.

अजीत पाराशर

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण समिति कल्पना कुंज, देहतोरा, आगरा

Bounded by:

East	:	Patiram Agriculture Land
West	:	Main Road
North	:	Govardhan Dham Colony
South	:	Kalpana Kunj Colony

Registered in the office of Sub-Registrar Office, Tehsil Sadar District Agra (U.P.) on 22-10-2001 & 26-02-2003

3 That the land is on ownership basis.

4 That the land is free from all encumbrances.

5 That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the competent authority to this effect has been obtained vide letter no. 07/99-2000 & 301 dated 20-11-1999 & 25-03-2013 in court of S.D.M. **Sadar, Agra.**

6 That the same premises shall not be used for running any educational activity/institution other than the teacher education programme for which recognition is being sought.

7 That the copy of this affidavit shall be displayed on the website of the institution for general public.

I do hereby swear that my declarations under para (1) to (7) above are true and correct and it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of the affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the India Penal Code and other relevant laws.

Signature............................

Name of the Applicant : Ajit Parasher

श्री राधा कृष्ण ... समिति

Address: 8/34, Bhogipura, Shahganj, Agra

Telephone No. : 0562-4012569

Email Address: shriradhakrishan@gmail.com

Website address : www.srkei.in

प्रमाणित किया जाता है कि इस शपथ पत्र का
श्री
जिनकी पहचान श्री
एडवोकेट [illegible]
[illegible] समक्ष
[illegible]
दिनांक [illegible]
प्राप्त की।

(एडवोकेट)

दस रुपये TEN RUPEES

रु.10 Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

AR PRADESH

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर आगरा

वाद सं० 7/99-2000 — अंतर्गत धारा 143 ज०वि०अधि०

चन्द्रनगर स०आ०स०समिति --- बनाम --- उ०प्र० सरकार
मौजा-दहतोरा
तहसील व जिला आगरा

नकल फोटो प्रति आदेश दिनांक: 20-11-99

ग्राम दहतोरा स्थित गाटा सं० 27 मि० रकबा 15-0-0 भू०रा० को उ०प्र० ज०वि०अधि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० की धारा 143 के अन्तर्गत अभिलेखों में आबादी अंकित कराने हेतु प्रार्थी चन्द्रनगर स०आ०स०समिति लि० आगरा द्वारा सचिव शिवकेश अग्रवाल पुत्र चन्द्रहंस नि० 79 विष्णु कालोनी आगरा व पुष्पराज स०आ०स०समिति लि० द्वारा सचिव धमपाल वर्मा पुत्र छुन्नासीराम नि० मुड़ का बाग आगरा ने यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर आगरा से कराई गई।

तहसीलदार ने अपनी जांच आख्या दिनांक 14.11.99 में कहा है कि प्रार्थीगण गाटा सं० 27 मि० रकबा 15-0-0 के सं०भू० हैं। मौके पर [illegible] भूमि में खेती नहीं हो रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आबादी घोषित करने की प्रार्थना की है। तहसीलदार ने अपनी जांच आख्या में कहा है कि प्रश्नगत भूमि गाटा सं० 27 मि० रकबा 15-0-0 को नक्शा नजरी के अनुसार [illegible] दर्शायी गयी है, आबादी घोषित करने की संस्तुति की [illegible] है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का नाम खतौनी 1401 से 1406 फसली में क्रमांक सं०भू० दर्ज है। गाटा सं० 27 मि० के खातेदार चन्द्रनगर स०आ०स०समिति द्वारा सचिव शिवकेश अग्रवाल पुत्र चन्द्रहंस नि० 79 विष्णु कालोनी व पुष्पराज स०आ०स०समिति लि० आगरा द्वारा सचिव धमपाल वर्मा पुत्र छुन्नासीराम नि० मुड़ का बाग आगरा को अपनी भूमि धारा 143 के अंतर्गत घोषित कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है। प्रारूप नियम 135 ज०वि० एवं भूमि व्यवस्था अधि० में प्रश्नगत भूमि जिसकी उद्घोषणा चाहते है, का विवरण अंकित है तथा नक्शा नजरी में उसे लाल स्याही की लाइनों से दर्शाया गया है। मैं तहसीलदार की आख्या दिनांक 14.11.99 से सहमत हूँ। अतः प्रश्नगत भूमि गाटा सं० 27 मि० रकबा 15-0-0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार उद्घोषणा जारी किया जाय।

उपजिलाधिकारी सदर
आगरा।
20.11.99

सत्य प्रतिलिपि

ATTESTED
Smt. MANORMA SHARMA
Notary Govt. of India
Distt. AGRA

NOTARY — Smt. Manorma Sharma — Distt. AGRA — GOVERNMENT OF INDIA

NOTARIAL

26/12/12

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

AR PRADESH

न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर) आगरा।

वाद सं० [illegible]/12–13
श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण एवं शिक्षा समिति आगरा
द्वारा प्रबन्धक अजीत पाराशर बनाम् उ०प्र० सरकार
अ०धारा–143उ०प्र०ज०वि०एवंभू०व्य०अधि०
मौजा–दहतोरा
तह० व जिला– आगरा

नकल फोटो प्रति आदेश दिनांक: 25.3.13

प्रार्थी श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण एवं शिक्षा समिति आगरा द्वारा प्रबन्धक अजीत पाराशर पुत्र किशनस्वरूप पाराशर नि० 8/34, भोगीपुरा आगरा द्वारा स्थित मौजा दहतोरा आगरा की खाता सं०152 गाटा सं०275मि० रकवा 0.1830हे० भूमि को अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार सदर आगरा को भेजा गया। तहसीलदार सदर आगरा द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल से स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण कराकर उनकी आख्या दिनांक 06.03.13 पर अपनी स्थलीय निरीक्षण संस्तुति सहित आख्या दि० 16.03.13 प्रस्तुत की। आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत गाटा सं०275मि० रकवा 0.1830हे० पर श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण एवं शिक्षा समिति आगरा द्वारा प्रबन्धक अजीत पाराशर पुत्र किशनस्वरूप पाराशर नि० 8/34, भोगीपुरा आगरा का नाम बतौर सं०भू० राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। मौके पर काबिज व दखील है। प्रश्नगत गाटा सं० में वर्तमान मे कृषि, उद्यानीकरण पशुपालन, मत्स्य संवर्धन, कुक्कुटपालन का कार्य नही हो रहा है। आबादी का प्रयोग हो रहा है स्थल पर खाली है एवं कालेज के उपयोग मे आ रहा है। प्रश्नगत गाटा सं० अनु०जाति/जनजाति के सदस्य व पट्टे की भूमि नही है। प्रश्नगत गाटा सं० किसी योजना मे प्रस्तावित नही है। प्रश्नगत गाटा सं० को लेकर न्यायालय मे कोई वाद विचाराधीन नही है। प्रश्नगत गाटा सं० सरकारी भूमि नही है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि चारागाह, पोखर, तालाब आदि नही है। [illegible] भूमि का [illegible] नही हो रहा है। [illegible] है। सहमति शपथपत्र संलग्न है। अतः मौजा दहतोरा के गाटा सं०275मि० रकवा 0.1830हे० मा०गु० 4.30 को उ०प्र०ज०वि० एवं भू०व्य०अधि० की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की है।

तहसील की उक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध नियम 135(1) की सूचना क्षेत्रीय लेखपाल, तहसीलदार सदर आगरा द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा रोशनाई पीली स्याही से प्रदर्शित किया है, जो हे० लेखपाल, तहसीलदार सदर आगरा द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित किया गया है। नकल खतौनी सन्1419–1424फ० मे प्रार्थी का सं० भू० के रूप में अंकित है। व नकल खसरा तथा प्रार्थी का शपथ पत्र, सहखातेदार का सहमति शपथपत्र एवं स्थलीय फोटोग्राफ संलग्न कर भेजे है। चूंकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि वर्तमान मे कृषिकार्य, मत्स्य पालन, कुक्कुटपालन, के उपयोग मे नही आ रही है व तहसील आख्या के साथ संलग्नक शपथ पत्र, सह खातेदार सहमति शपथपत्र आदि से सन्तुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं०152 गाटा सं०275मि० रकवा 0.1830हे० मा०गु० 4.30पै. धारा 143 उ०प्र०ज०वि० एवं भू० व्य०अधि० के सपठित नियम 135 (3) के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। तहसील आख्या के साथ संलग्नक उक्त आदेश का अंग रहेंगे। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। पत्रावली बाद आ० कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजेश कुमार)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा।

सत्य प्रतिलिपि
[illegible]
राजस्व अभिलेखागार, कलेक्ट्रेट
आगरा

आवेदक का नाम [illegible]
आवेदन का दिनांक 25 [illegible]
आवेदक की संख्या 1195
[illegible] का दिनांक 26.07.13
[illegible] 4/-
[illegible] 4.50
नकल देने का दिनांक 22/7/13

नकल कर्ता – [illegible]
मिलान कर्ता – [illegible]

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

निवासी 8/40 भोगीपुरा तहसील व जिला आगरा ने व इकरार फरीकैन के

गंगाराम

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

:: 17 ::

गो०शि०रा० कथनानुसार मुद्रटंकणकर्ता नितेश गर्ग सदर तहसील परिसर आगरा द्वारा टंकण कराया।

गंगाश्याम कैलाशी जाटिम अजीतपुरा शाह

लेखक- सतीश कुमार एचौरी
लाइसेंस नं० 34
तहसील सदर
हस्ताक्षर

कैलाशी जाटिम

गवाह केशवसिंह पुत्र रामचन्द्र नि० अजीतपुरा शाह रहनकटा तह० आगरा केशवसिंह

गवाह रामखिलाड़ी पुत्र छोटेलाल नि० रहनकटा तह० आगरा

SITE PLAN OF AGRICULTURAL ARAJI NO 275
AT GRAM DEHTORA AGRA
SELLER - SRI GANGARAM, SRI KAILASHI
& OTHER'S
PURCHASER - RADHA KRISHAN SAMAJ KALYAN
AVAN SHIKSHA SAMITI AGRA
MANAGER - SRI AJIT PARASHER

LAND AREA - 0.8450
Hectare

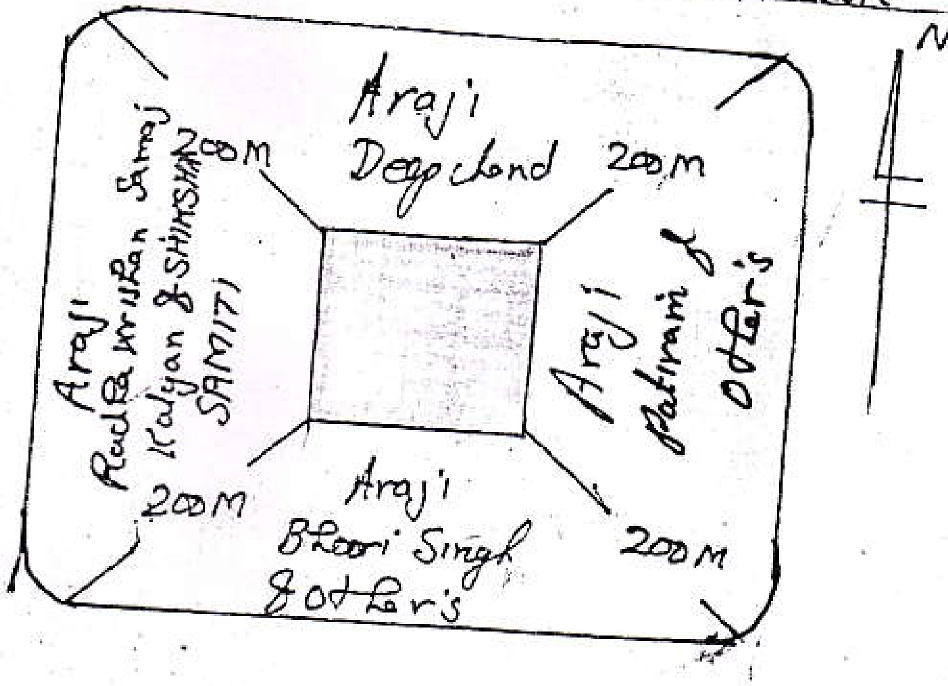

अजित पाराशर

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

खास फरीक अव्वल व जायदाद हर किस्म चल व अचल व वारिसान व कायम मुकामान कौरा फरीक अव्वल के हैं और आयंदा होगी हुए हैं व ऐतराज नहीं होगा ।

गंगाराम

गंगाराम भोलाशी जालिम अजीतपाराश

कालाशी जालिम

अजीतपाराश

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

5000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

उक्त आराजी हिस्सा मुवैयन तखफूर मजकूर सरकार व राजकीय आस्थान की नहीं हैं कि जिसके अन्तरण होने से सीलिंग की किसीभी धारा का भंग व उल्लंघन नहीं हो रहा है। आराजी हिस्सा मुवैयन तखफूर कृषि भूमि है

गंगाराम

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते
भारत

पांच हजार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 11 ::

और उसका विक्रय कृषि प्रयोजनार्थ ही किया जा रहा हैं तथा उपरोक्त आराजी स्वीकृत मानचित्र में कृषि भूमि ही दर्शायी गयी हैं और उपरोक्त

गंगाराम
गंगाराम

कैलाशी जालिम अजीतपारशर

कैलाशी जालिम

अजीतपारशर

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

आराजी के आस-पास चारों ओर कृषि हो रही है । विक्रेतागण व क्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्ति नहीं हैं । बैनामा हाजा के साथ

गंगाराम
गंगाराम   कैलाशी   जालिम   अजीतपाराशर

कैलाशी   जालिम   अजीतपाराशर

1000

INDIA NON JUDICIAL

१000 रु

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

कोषाधिकारी
21 FEB 2003
राजकोष

फरीकैन के दो-दो किता फोटो चस्पा हैं कि जिनकी शिनाख्त गवाहान दस्तावेज हाजा द्वाराकी जा रही है।

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपारश

गंगाराम

कैलाशी जालिम

अजीतपारश

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

लिहाजा यह बैनामा बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख:-25/2/2003 ई0 --

गंगाराम
गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

लिहाजा यह बैनामा बाद सुनने व समझने जुमला मजमून के लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख:-25/2/2003 ई0 --

गंगाराम
गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

मसौदा सतीश कुमार पचौरी दस्तावेज लेखक सदर तहसील परिसर आगरा

गंगाराम

गंगाराम

कैलाशी जालिम अजीतप्रकाश

कैलाशी

जालिम

अजीतप्रकाश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 64AB 975399

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण समिति
कल्पनाकुंज बहतोर (आगरा)

गंगाराम कैलाशी जालिम

0260 401868

गंगाराम कैलाशी जालिम

औसत :-

किस्म दस्तावेज:-बैनामा कृषि ।

मालियती:-5,00,000/-रुपया ।

सरकारी कीमत:-11,27,000/-रुपया ।

सर्किल रेट:-40,00,000/-रुपया प्रति हैक्टेयर ।

स्टाम्प:-1,12,700/-रुपया ।

विवरण:-एक किता आराजी भूमिधरी वाके ग्राम दहतौरा तहसील व जिला आगरा आराजी खाता नम्बरी 120 व खसरा नम्बरी 275 रकबाई 0.8450 हैक्टेयर का 1/3 भाग ।

-x-x-x-x-x-x-x-x-

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतसिंह

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतसिंह

RUPEES

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 401869

अजीतपाराशर

अजीतपाराशर

/ :: 2 /::

हमकि गंगाराम व कैलाशी व जालिम सिंह पुत्रगण स्व0 श्री [illegible] निवासीगण ग्राम दहतौरा तहसील व जिला आगरा -------विक्रेतागण फरीक अव्वल ।

बहक

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण एवम् शिक्षा समिति आगरा द्वारा प्रबन्धक अजीत पाराशर पुत्र श्री [illegible] पाराशर निवासी 8/34 भोगीपुरा तहसील व जिला आगरा ------खरीदार फरीक दोयम हैं ।

जो कि एक किता आराजी भूमिधरी वाकै ग्राम दहतौरा तहसील व जिला आगरा आराजी खाता नम्बरी 128 व खसरा नम्बरी 275 रकबई 0.8450 हैक्टेयर [illegible] के 1/3भाग [illegible] फरीक अव्वल [illegible] कागजात सरकार [illegible] मालिक भूमिधर [illegible] चले आते हैं 1/3 भाग आराजी [illegible] हम फरीक अव्वल के [illegible] कोई हकदार व हिस्सेदार वगैरा [illegible]

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपाराशर

गंगाराम

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

CANCELLED भारत INDIA

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

16 DEC 2013 BU 707399

उत्तर प्रदेश

AFFIDAVIT

I, Ajit Parashar authorized representative of the management/office and Manager i.e Shri Radha Krishna Samaj Kalyan Sikshsa Samiti, Kalpana Kunj, Dehtora, Agra (U.P.) aged about 53 years, resident of 8/34, Bhogi Pura, Shahganj, Agra in connection with my/our application for grant of recognition/permission of NRC APP 5344 to conduct Teacher Training course **D.El.Ed.** (Name of the course) with **50 seats** intake under section (14/15) of the NCTE Act, 1993 on behalf of the institution namely **Shri Radha Krishna Educational Institute, Kalpana Kunj, Dehtora, Agra (U.P.)** do hereby solemnly affirm and state as follows:-

2 That the **Shri Radha Krishna Educational Institute, Kalpana Kunj, Dehtora, Agra (U.P.)** is in possession of land as per following description:

2.1 Total Area of the land in (square mtrs) – 2745 Sq.Mts.

2.2 Address :

Plot No.	271, 275
Khasra No.	271, 275
Village	100 Futa Road, Kalpana Kunj, Dehtora
Tehsil	Sadar
District	Agra
State	U.P.

अजीत पाराशर

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण समिति

Bounded by:

East	:	Patiram Agriculture Land
West	:	Main Road
North	:	Govardhan Dham Colony
South	:	Kalpana Kunj Colony

Registered in the office of Sub-Registrar Office, Tehsil Sadar District Agra (U.P.) on 22-10-2001 & 26-02-2003

3 That the land is on ownership basis.

4 That the land is free from all encumbrances.

5 That the land is exclusively meant for running the educational institution and the permission of the competent authority to this effect has been obtained vide letter no. 07/99-2000 & 301 dated 20-11-1999 & 25-03-2013 in court of S.D.M. **Sadar, Agra.**

6 That the same premises shall not be used for running any educational activity/institution other than the teacher education programme for which recognition is being sought.

7 That the copy of this affidavit shall be displayed on the website of the institution for general public.

I do hereby swear that my declarations under para (1) to (7) above are true and correct and it conceals nothing and that no part of this is false. In case the contents of the affidavit are found to be incorrect or false, I shall be liable for action under the relevant provision of the India Penal Code and other relevant laws.

Signature......अजीत पाराशर......

Name of the Applicant : Ajit Parasher श्री राधा कृष्ण ... कल्याण समिति

Address: 8/34, Bhogipura, Shahganj, Agra

Telephone No. : 0562-4012569

Email Address: shriradhakrishan@gmail.com

Website address : www.srkei.in

प्रमाणित किया जाता है कि इस शपथ पत्र का
श्री अजीत पाराशर
जिसको ... एडवोकेट ... के समक्ष
... शपथ पत्र ...
दिनांक ... द्वारा की ...

2

... (एडवोकेट)

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

Rs.15000

0JBB 674794

का नहीं हैं कि जो माने किसी तरह के इन्तकाल वगैरा का होवे और 1/3 भाग आराजी मजकूर आज की तारीख तक हर तौर के कर्जे व चार्ज व इन्तकाल व गैरजमानत व नालिश व नीलाम व बै व रहन व हर प्रकार की लैनदारियों व इक्यूटेबिल मोर्गेज व स्यूजीशन व मुआहिदा बै व हर प्रकार की जिम्मेदारियों वगैरा से कतई पाक व साफ हैं अगर बाद तकमील बैनामा हाजा खिलाफ इसके जाहिर या साबित होवे तो ऐसी सूरत में हम फरीक अव्वल जुमला नतायज कानूनी के जिम्मेदार होगें । अब हम फरीक अव्वल को उपरोक्त कुल आराजी रकबई 0.8450 हैक्टेयर के 1/3 भाग आराजी अपने का विक्रय करना हस्ब जरूरत अपनी व मिलने कीमत माकूल के मंजूर हैं ।

लिहाजा हम फरीक अव्वल ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये किसी दीगर शख्स के व बिला किसी दबावआजायज के व बिला खाये किसी नशीली शै के आराजी रकबई 0.8450 हैक्टेयर के 1/3 भाग आराजी अपने को साथ तमाम हक हकूक मालिकाना मय दाखिली व खारिजी के व बिना छोड़े किसी शै व जुज शै व हक के व

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीत पाराशर

गंगाराम

कैलाशी जालिम अजीत पाराशर

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

Rs.15000

0JBB 674795

कम्पलीट गुडटाईटिल के साथ विल एवम् मुबलिग 5,00,000/-पांच लाख रूपया कि आधे जिसके मुबलिग 2,50,000/-दो लाख पचास हजार रूपया होते हैं में बदस्त श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण एवम् शिक्षा समिति आगरा द्वारा प्रबन्धक श्री अजीत पाराशर पुत्र श्री किशन स्वरूप पाराशर निवासी 8/34 भोगीपुरा तहसील व जिला आगरा खरीदार फरीक दोयम के कतई बै की और बेच दी और कीमत का कुल धन फरीक अव्वल ने खरीदार फरीक दोयम से नकद तकब रजिस्टरी बैनामा हाजा वसूल पालिया है जिसका इकबाल हम फरीक अव्वल समक्ष श्रीमान सबरजिस्टार साहब आगरा कर देंगे। इस प्रकार अब बाबत कीमत मजकूर बजिम्मे खरीदार फरीक दोयम हम फरीक अव्वल का कुछभी पाना बाकी नही रहा और न आयंदा भविष्य में होगा ।

लिहाजा कब्जा व दखल मालिकाना आराजी हिस्सा मुबैया मजकूर पर कतई व वाकई खाली पर खरीदार फरीक दोयम का करा दियाऔर मिस्ल अपने मालिक कामिल व काबिज व दखील बना दियाअब खरीदार फरीकदोयम

गंगाराम

बेलाश्री जालिम

अजीत पाराशर

गंगाराम

बेलाश्री जालिम

अजीत पाराशर

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पांच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

:: 5 ::

को हक व अधिकार है कि वह आराजी किस्ता मुबैयामजकूर से अपने ठीक तौर पर बहैसियत मालिकाना मुस्तकील रहे और हस्ब मर्जी अपने व उक्त शिक्षा समिति के लाभ उठावे [illegible] शिक्षा समिति के लाभ हेतु जो चाहे सो करे और जरिये नीलाम [illegible]

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीत पाराशर

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीत पाराशर

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

नाम का नामांकन कागजात सरकार खतौनी में बहैसियत मालिक दर्ज करा लें हम फरीक अव्वल अपनी पूर्ण रजामंदी प्रदान करते हैं ।

अगर आनीउलहाल कोई वारिस या दावेदार हम विक्रेतागण फरीक अव्वल का कौमी या खानदानी यागैर खानदानी याकानूनी या [illegible]

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपराशर

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतपराशर

5000

INDIA NON JUDICIAL

५००० रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

या कोई किफालतदार वगैरा किसी किस्म का आराजी हिस्सा मुबैयामजकूर में पैदा होकर कोई दावा व झगड़ा वगैराबाबत आराजी हिस्सा मुबैया मजकूर के खरीदार फरीक दोयम से करे और उसकी वजह या किसी दीगर

जालिम

अजीतपारीक्ष

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

5000R.

वजह या नुक्श कानूनी से कुल या जुज कब्जा खरीदार फरीक दोयम से निकल जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में कुल जवाबदेही उसकी व अदायगी वापसी जर समन मजकूर मय सूद कानूनी व मय जुमला हर्जा व खर्चा के बजिम्मे [illegible]

गंगाराम

गंगाराम कैलाशी जालिम अजीतप्रकाश

कैलाशी जालिम

अजीतप्रकाश

3222/12

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 54571 64AB 975396

किस्म दस्तावेज 669
स्टाम्प 40150

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण समिति
कल्पनाकुञ्ज दहतोरा (आगरा)

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

01CC 219765

-: ओउम् :-

किस्म दस्तावेज:-बैनामा सोसायटी ।

मालियती:-50,000/-रुपया ।

सरकारी कीमत:-6,69,000/-रुपया ।

सर्किल रेट:-800/-रुपया प्रति वर्ग मीटर ।

स्टाम्प:-40,150/-रुपया का छह प्रतिशत के हिसाब से ।

विवरण:-एक किता भूखण्ड तादादी 1000 वर्ग गज यानी 836.10 वर्ग मीटर खसरा नम्बरी मिन जुमला 271 वाके मौजा दहतौरा अजनाम कल्पना कुँज शिवधाम तहसील व जिला आगरा ।

-x-x-x-x-x-x-

विक्रेता:-चन्द्र नगर ग्रामीण सहकारी आवास समिति लि0 सहारा (मिढ़ाकुर) आगरा रजि0 संख्या 2257 द्वारा सचिव तपन अग्रवाल पुत्र श्री शिवगनेश अग्रवाल निवासी 404 आनन्द वृन्दावन संजय प्लेस आगरा ।

क्रेता:-श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण शिक्षा समिति आगरा द्वारा मैनेजर व प्रबन्धक अजीत कुमार पाराशर पुत्र श्री किशन स्वरूप पाराशर निवासी 8/34 भोगीपुरा - तहसील व जिला आगरा ।

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण समिति

बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

01CC 219796

:: 2 ::

विवरण:-एक किताभूखण्ड तादादी 1000 वर्ग गज यानी 836.10 वर्ग मीटर पैमाइशी व तरफ पूरब 150 फीट व तरफ पश्चिम 150 फीट व तरफ उत्तर 60 फीट व तरफ दक्षिण 60 फीट मिन जुमला खसरा नम्बरी 271 वाके मौजा दहतौरा तहसील व जिला आगरा अजनाम कल्पना कुँज शिवधाम निम्न सीमांकित:-

पूरब:- दीगर जमीन ।

पश्चिम:- 30 फीट चौड़ा रास्ता व निकास भूखण्ड हाजा ।

उत्तर:- दीगर जमीन ।

दक्षिण:- जमीन समिति ।

प्रलेख:-विदित हो कि उक्त समिति उ0प्र0 सहकारी समितियाँ अधिनियम सन् 1965 के अधीन गठित परिक्षेत्र-6 के अन्तर्गत आती हैं तथा उ0प्र0 सहकारी आवास संघ लि0 लखनऊ (एपेक्स कोआपरेटिव सोसायटी) की विधिवत् सदस्य हैं उक्त समिति ने आगरा स्थित दहतौरा भूमि को विभिन्न दिनांकों में भूस्वामियों से क्रय कर - अध्यापित किया हैं और उक्त भूखण्ड आज तक हर तौर पर पाक व साफ हैं कि जिसको समिति संक्रमित करने व विक्रय करने में पूर्ण सक्षम हैं तथा समिति की ओर से मुझ सचिव को बैनामा करने का हक व अधिकार विधिवत् प्राप्त हैं । क्रेता समिति शिक्षा के प्रसार-प्रचार के लिये उक्त जमीन को क्रय करना चाहती हैं लिहाजा मुझ सचिव ने अपनी राजी व खुशी से खूब सोच व समझकर बिला बहकाये व सिखाये किसी दीगर शख्स के व बिला किसी दबाव नाजायज के व बिला खाये किसी नशीली शै के उपरोक्त भूखण्ड तादादी 1000 वर्ग गज यानी 836.10 वर्ग मीटर को अन्तिम रूप से उक्त श्री राधाकृष्ण समाज कल्याण शिक्षा समिति आगरा द्वारा प्रबन्धक व मैनेजर अजीत पाराशर पुत्र श्री किशन स्वरूप पाराशर को संक्रमित व विक्रय कर दिया हैं और स्वामित्व प्रदान कर दिया हैं और कब्जा व दखल भूखण्ड पर दे दिया हैं -

श्री राधा कृष्ण समाज कल्याण समिति

Agrawal Agrawal

सत्यमेव जयते
भारत
INDIA
५० रू.
50 RS
FIFTY RUPEES

उक्त शिक्षा समिति ने कीमत का निर्धारित रूपया 50,000/-पचास हजार रूपया कि आधे जिसके मुबलिग 25,000/-पच्चीस हजार रूपया होते हैं समिति के लेखा विभाग में जमा करा दिया हैं जिसकी रसीद प्राप्त कर ली हैं उक्त क्रेता समिति ने विक्रेता समिति के साथ यह प्रसंविदा करता हैं ।

1. यह है कि प्रदिष्ट भूखण्ड भवन निर्माण/स्कूल निर्माण हेतु प्रयोग में लिया जा सकेगा ।

2. यह है कि उक्त भूखण्ड पर प्रस्तावित भवन के मानचित्र की स्वीकृति आगरा विकास प्राधिकरण आगरा विनियमित क्षेत्र आगरा से लेनी होगी और उसका समस्त विकास शुल्क क्रेता समिति को स्वंय वहन करना होगा ।

3. यह है कि क्रेता सदस्य समिति को यह अधिकार होगा कि वह उक्त प्लाँट पर भवन निर्माण करके उस पर शिक्षा प्रसार हेतु विद्यालय चलायें व उसकी सम्बन्धित महकमा मजाज से मान्यता प्राप्त करें व छात्र वृत्ति प्राप्त करें व अनुदान प्राप्त करें व शिक्षा प्रसार का विस्तार करें तथा अपने नियमानुसार जो चाहे सो. करें इसमें विक्रेता समिति को कुछ उज्र व ऐतराज नही होगा।

4. यह है कि यदि मौके पर भूखण्ड क्षेत्रफल में कम या अधिक होता हैं तो उसका मूल्य दोनो पक्षों को यथानुसार देय होगा।

5. यह है कि उक्त भूखण्ड श्री राधाकृष्ण समाज कल्याण शिक्षा समिति आगरा के प्रयोग के लिये खरीदा जा रहा हैं स्कूल के हितों के लिये व लाभ के लिये उक्त भूखण्ड को उक्त मैनेजर/प्रबन्धक उपयोग व प्रयोग करेगा और स्कूल के हितों व लाभ के लिये अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उक्त भूखण्ड को रहन व बै आदि करने का हक व अधिकार उक्त मैनेजर/प्रबन्धक को होगा ।

6. यह है कि समिति की उपविधियों में उल्लिखित सभी प्राविधान मान्य होगें इसमें तत्समय प्रचलित एवं संशोधन भी सम्मिलित हैं ।

7. यह है कि भूखण्ड पर निर्माण व सड़क व पार्क व सीवर आदि का उपयोग

Agrawal Agrawal

श्री राधा कृष्ण ... कल्याण समिति
... (आगरा)

2779

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५०रु. FIFTY RUPEES 50RS.

सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुये किया जावेगा।

8. यह है कि उक्त भूखण्ड का विकास शुल्क क्रेता समिति स्वंय वहन करेगी विक्रेता समिति ने भूखण्ड मजकूर अविकसित विक्रय किया हैं।

9. यह है कि भूखण्ड मजकूर का कब्जा व दखल विक्रेता समिति की वजह से क्रेता समिति से निकलता हैं तो उस कुल की जबाबदेही व जिम्मेदारी विक्रेता समिति की होगी।

10. यह है कि बैनामा हाजा का खर्चा क्रेता समिति ने स्वंय वहन किया हैं।

Agrawal Agrawal

श्री राधा कृष्ण [illegible] कल्याण समिति
कल्पना[illegible] (आगरा)

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

५०रू. FIFTY RUPEES 50RS

लिहाजा यह बैनामा सोसायटी लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीखः-22/10/2001 ई0 बमसौदा सतीश कुमार पचौरी दस्तावेज लेखक सदर तहसील परिसर आगरा निवासी 8/40 भोगीपुरा तहसील व जिला आगरा ने व इकरार स्वंय विक्रेता सचिव के कथनानुसार मुझ टंकणकर्ता नितेश गर्ग सदर तहसील परिसर आगरा द्वारा टंकण कराया।

लेखक:- सतीश कुमार पचौरी।
लाइसेंस नं० 37
लेखन शुल्क ....
हस्ताक्षर:- [illegible]

ह0 [illegible] उपाध्याय [illegible]
सदर तहसील [illegible]

ह0 सतीश कुमार पचौरी दस्तावेज लेखक
सदर तहसील [illegible]

श्री राधा कृष्ण [illegible] कल्याण समिति
[illegible] (आगरा)

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 08010101845 ग्राम का नाम : दहतोरा परगना आगरा तहसील : आगरा

जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

22047/116

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	---2---			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में है								
00050	चन्द्र नगर स0आ0स0लि0	-	-	1398 फ	271 मि0	4.2730		1407फ-ब आदेश श्री मान उप0 जिला अधि0 धारा 143मु0 7/99-2000/20-11-99 के अनुसार तह0 आग.	
	द्वारा सचिव शिव गणेश अग्रवाल	चन्द्रहंस	नि. 79 विष्णु कॉलोनी आगरा						
	पुष्पराज स0आ0स0लि0	-	-					मौआख्या दि0 14-11-99 के आधार पर मौजा	
	द्वारा सचिव प्रभुदयाल शर्मा	हुलासीराम	नि0 भूड का बाग आगरा					दहतोरातहसील आगरा की निम्न भू0 को उ0 प्र0	
	मजहरा	कृष्णपाल सिंह	नि. गढ़ी दौलत मिढाकुर					ज0वि0 एवम भू0व्य0अधि0 की धारा 143(1) के	
	श्रीमती सावित्री	श्रीचन्द	नि. गामरी					सहपठित नियम135(3) के अन्तर्गत घोषित किया	
	श्रीमती गंगा देवी	सुरेशचन्द	नि. विष्णु कालोनी शाहगंज आगरा					जाता है कि यह भूमि कृषि उद्यानिकरण पशुपालन जिसके	
	श्रीमती सुशीला सिंह	कप्तान सिंह	नि. गामरी					अन्तर्गत मत्स्यसंवर्धन एवं कुक्कुट पालन भी है के उपयोग	
	कप्तान सिंह	भगवान सिंह	नि. गामरी					मे नहीं है ग्राम दहतोरा चन्द्र नगर सह0 आ0	
	श्रीमती बैजन्ती देवी	देवदत्त शर्मा	नि. 7-बी. रामनगर कालौनी कृष्ण नगर मथुरा					सम0 लि0 आगराद्वारा सचिव शिव गनेश अग्रवाल	
	श्रीमती सुशीला देवी	दर्शन सिंह	नि. बलीपुर तह.भौगांव					नि0 79 विष्णु कालोनी बपुष्प राज सह0 आ. समिति	
	संजय कुमार गुप्ता	हरेन्द्र प्रमोद	नि. कागरौल खेरागढ़					लि0 आगरा द्वारा सचिव क्षेत्रपालवर्मा पुत्र हुलासी	
	संगीता कुमारी	सुशील कुमार	नि. मलपुरा					राम नि0 भूड का बाग आगरा गाटा स0 271 मि0	
	दिनेश कुमार	शम्भूदयाल गुप्ता	नि .9/444 महादेव गली मोतीकटरा आगरा					रकबा 15-0-0 भू रा0 79.85 दर्ज हो द्वारा परवाना	
	अजीत पाराशर	किशनस्वरूप पाराशर	8/34 भोगीपुरा					ह0 ले0 7-1-2000	
	उर्मिला शर्मा	ओमप्रकाश शर्मा	नि. 408 अवधपुरी आगरा						
	गौरव पाराशर	अजीत पाराशर	नि. भोगीपुरा आगरा						
	अनुज पाराशर	अजीत पाराशर	नि. भोगीपुरा आगरा						
	राधा कृष्ण समाज कल्याण								

0801010184 5 ग्राम का नाम : दहतोरा परगना आगरा तहसील : आगरा

: आगरा फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
	संगति आगरा द्वारा मैनेजर व								
	प्रबन्धक अजीत पाराशर	किशनस्वरूप पाराशर	नि. 8/34 भोगीपुरा आगरा						
	मनमोहन शर्मा	हंसराम शर्मा	नि. 3/612ए सुभाष पार्क आगरा						
	श्रीमती सालिनी शर्मा	मनमोहन शर्मा	नि. 3/612ए सुभाष पार्क आगरा						
				कुल गाटे : 1	कुल हे :	4.2730	98.80		

23-Aug-12

उद्धरण खतौनी

२२०२२/९१

ग्राम क्रमांक : 08010107845 ग्राम का नाम : दहतोरा परगना आगरा तहसील : आगरा

जनपद : आगरा फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे का खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	[illegible] भूमिधरों के अधिकार में भू								
00152	[illegible] एवं	-		1411 फ	275 मि0	0.5490			
	[illegible] आगरा द्वारा	-							
	[illegible] अशोक [illegible]	[illegible] पाराशर	नि0 8-34 [illegible] आगरा						
	[illegible] नि0 आगरा	-	-						
	[illegible] अग्रवाल	[illegible]	नि0 एफ-657 कमलानगर आगरा						

कुल गाटे : 1 कुल क्षे : 0.5490 12.65

[illegible]-Aug-12